

**कार्यालय – उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल**  
**अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र**  
**उपखण्ड स्तरीय समिति, बालगंगा**

उपखण्ड बालगंगा परिक्षेत्र के टिहरी गढ़वाल वन प्रभाग की रीवर रेंज के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड बालगंगा में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM ) from Sandur – Piploodhar - Kyunti (Total Length-17.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.525 है० तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.525 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) के द्वारा उपयोग लाये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील – ) की दिनांक 03/11/20/8 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी. एन. नैयात उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |                                                               |         |
|----|---------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | श्री <u>सी. एन. नैयात</u> उप जिलाधिकारी                       | अध्यक्ष |
| 2. | श्री <u>अ. प्र. शर्मा</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी               | सदस्य   |
| 3. | श्री <u>हजारी लाल</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी               | सदस्य   |
| 4. | श्री <u>विमला देवी</u> बी०डी०सी० क्षेत्र <u>काँड 13 नैयात</u> | सदस्य   |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि टिहरी गढ़वाल वन प्रभाग के वन विभाग, उपखण्ड बालगंगा में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM ) from Sandur – Piploodhar - Kyunti (Total Length-17.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.525 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) के द्वारा उपयोग लाये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (बालगंगा) टिहरी गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बालगंगा परिक्षेत्र के अन्तर्गत बालगंगा वन प्रभाग के रीवर रेंज अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड बालगंगा में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM ) from Sandur – Piploodhar - Kyunti (Total Length-17.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.525 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 टिहरी गढ़वाल

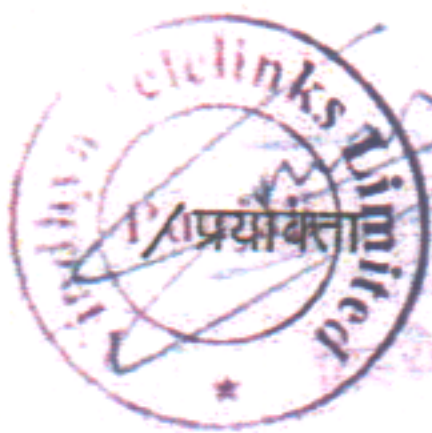
तहसील..... / जनपद.....

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

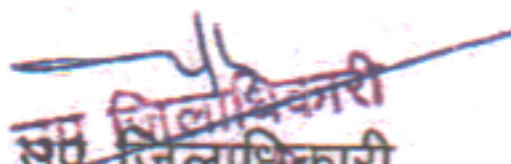
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 टिहरी गढ़वाल

## उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड बालगंगा में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM ) from Sandur – Piploodhar - Kyunti (Total Length- 17.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.525 है० वन भूमि को उपयोग लाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र सं० 11-9 /98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, पारिषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/आंबटित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवंटित 0.525 है० वन भूमि /बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।



  
तहसीलदार  
बालगंगा

  
उप जिलाधिकारी  
वनसंरक्षण  
टिहरी गढ़वाल